12.58 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

*DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78—*Contd.*

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now go on with the discussion on the grants of Ministry of Home Affairs.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): I am sorry, after this felicitations interlude, to raise a point of order under sub rule 2 of Rule 376.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): What is the matter before the House? No point of order can be raised in vacuum.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is the Point of Order, Mr. Kamath? We are now going to the discussion on the demands of the Home Ministry.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Sub Rule 2 says:

> "A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment."

I raised this point yesterday also. I insisted, and I am sure Members on both sides of the House will agree that I and B Ministrys demands are more important.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Kamath, I informed you that according to the present schedule we will have a few hours left for I and B Ministry.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Is it possible?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is possible. I am a person who is allocating time.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: You promised yesterday. I find from the Reporter's copy, that You said, "We will cut down the time to be spent on the Ministry of Energy." I hope that the time will be cut down and assigned to the Ministry of I and B.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall do so. If we are not able to get more time for the Ministry of I and B, we shall cut down with the permission of the House.

SHRI M. V. KRISHNAPPA: The time for this discussion may be extended.

13 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can't have both—discussion on Information and Broadcasting Ministry demands as well as extension of the time for discussion of the demands of the Home Ministry. The House will have to sit till 7 O'clock today. Even so it will not be possible to extend the time for Home Ministry demands.

SHRI M. V. KRISHNAPPA (Chikballapur): The Ministry can reply tomorrow.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): He can reply tomorrow.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): Shall I reply today or tomorrow?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Today. What time will suit you?

SHRI CHARAN SINGH: 4-30. P.M.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. The Minister will start reply at 4-30 P.M. and then we will take up the Demands of the Ministry of Energy, till 7 O'clock.

Now, Mr. Paswan

---

*Moved with the recommendation of the Vice-President acting as President.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि हम लोगों को जेल में बन्द करके उपदेश दिया जाता था। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय हम लोग जेल में थे उस समय ही श्री संजय गांधी बिहार पहुंचे थे, और जब वह पहुंचते थे किसी भी प्रान्त में तो पता नहीं उनको क्या स्टेट्स दिया गया था, या वह प्रधान मन्त्री की एवज में दूसरे प्रधान मन्त्री थे कि जब वहां से चलते थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री, श्री नारायण दत्त तिवारी और बिहार के मुख्य मन्त्री डा० जगन्नाथ मिश्रा चले आते थे' जनके पांव छूने के लिये, बिहार के मुख्य मन्त्री भी चले आते थे उनके पांव छूने के लिये और जब उनके पांव छूते थे तो संजय गांधी आशीर्वाद देता था कि जुग जुग जीयो जगन्नाथ 10 वर्ष तक राज्य करो। और पेपर में आता था कि संजय गांधी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि डा० जगन्नाथ मिश्रा 10 वर्ष तक राज्य करेंगे। आज हमारे बीच में बरुआ जी नहीं हैं, नहीं तो उनसे पूछते कि हम लोग तो हनुमान चालीसा और रामायण पढ़ा करते हैं लेकिन वह इन्दिरा चालिसा पढ़ते थे ? तो यह सारी चीजें इमरजेंसी के दौरान हुईं।

हमारे साथियों ने कहा कि हम लोगों को सारी बातें भूल जानी चाहियें और सरकार को कोई कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिये। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि चाहे सदन और सरकार भूल जाये, लेकिन जिन हजारों छात्रों की, नौजवानों की हत्यायें हुई हैं उसके कलंक का धब्बा उन तमाम लोगों के माथे पर है जो आज विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं। जो नौजवान गोली खाकर शहीद हुए हैं उनका खून पुकार पुकार कर कह रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आपने पाप किया। हमारे ऊपर आरोप लगता था कि हम लोग हिंसक थे। क्या आप भूल गये कि जब पटना में 5 जून, 1974 को गांधी मैदान में आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में अपार जनसमूह का जुलूस निकला था उस समय प्रशासन की ओर से कहा गया था कि उन्हें दबाने के लिये हमारे पास सब तरह के अस्त्र हैं, सी० आर० पी०, बी० एस० एफ० आदि, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसी 5 जून को जब हम लोग राज्यपाल भवन से लौट रहे थे तो इन्दिरा ब्रिगेड के द्वारा गोली चलाई गई। उसमें लड़के गोली खाते थे और नारा लगाते थे—

हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा।

सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है,

देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।

उसके बाद भी हम लोगों पर तोहमत लगाई जाती थी कि हम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।

बी० बी० सी० ने कहा था कि इन्दिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा कर शेर की सवारी की है और वह शेर पर ज्यादा दिन चढ़ी नहीं रह सकती हैं। वह जब शेर पर से उतरेंगी तो वह शेर उसको खा जायेगा। वही हुआ। उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई, और आपने देखा कि उसमें कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पटका खाया कि—रहे न बांस में रोबन हारा। एक छोर से दूसरे छोर तक कोई नहीं रहा, कोई रोने वाला भी नहीं रहा सिवाये थोड़े से दक्षिण भारत को छोड़ कर।

चुनावों में क्या हुआ ? मैं जहां से जीत कर आया हूं वहां से सवा 4 लाख वोट से मैं जीता हूं। वहां पूरा जनमत कांग्रेस के विरोध में था, लेकिन उसके बाद भी वहां गुंडागर्दी से ये लोग नहीं चूके। भाड़े पर गुंडे मंगाये गये थे। हमारे क्षेत्र में एक लड़के की हत्या की गई। इस सम्बन्ध में मैंने गृह मन्त्री चौधरी चरणसिंह जी को 17 अप्रैल को लिखा और उसके बाद भी पत्र लिखा। वहां आगे-आगे कांग्रेस की गाड़ी चलती थी, बीच में गुंडा

चलता था, उसके पीछे डी० एम० प्रभाकर झा और एस०पी० संरक्षण देते थे। एक लड़के बूथ पर आक्रमण हो गया तो 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे बूथ पर जब किया गया तो महेन्द्र राय नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। उसको गोली मारी गई। जब वह छटपटा रहा था, तो उसको खींचकर जीप के आगे डाल दिया गया और जीप चला दी गई। इस तरह के कुकर्म वहां पर किये गये हैं।

उपाध्यक्ष जी, आपने भी देखा होगा, 5 जुलाई के अखबार में बिहार के मुख्य मन्त्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा है कि इस एमर्जेन्सी के दौरान जब बिहार के मुख्य मन्त्री श्री जगन्नाथ मिश्र थे, उनके शासन काल में 128 हरिजनों की हत्या की गई। नक्सलाइट के नाम पर उनकी हत्या की गई। मैं अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह 128 तो सरकारी आंकड़े हैं लेकिन वहां मरने वालों की 500 से भी अधिक संख्या है। आज भी जो नक्सलाइट जेल में बन्द हैं मनीला अदब और रेणु मुखर्जी, जिनको 18 तारीख को फांसी लगने वाली है, मैं मानता हूं कि नक्सलवाद कांग्रेसी कुकर्म का फल है, ये नक्सलाइट हों या कोई और हों, जब तक इस देश में समस्या का निदान नहीं होगा तब तक एक के बाद एक संस्थाएं खुलती रहेंगी। मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री से और राष्ट्रपति जी से आग्रह करूंगा कि कृपा कर उनके मामले पर पुनर्विचार करें। इनमें एक 18 साल की लड़की है, जिसकी फांसी की सजा लगने वाली है, इस सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं।

बेलछी कांड के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बेलछी गये हुए थे। वहां से हम लोग उन लोगों की हड्डी लाये हुए हैं, जिनको जलाया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन हड्डियों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। ये उन लोगों की हड्डियां हैं जिनमें 8 हरिजन और 3 दूसरे गरीब लोगों को जलाया गया था। यहां से पार्लियामेंट के मेम्बर, कांग्रेस, कम्युनिस्ट व जनता पार्टी के हरिजन एम० पी० वहां गये थे। हम लोग 8 एम० पी० गये थे बेलछी। हमने वहां जाकर जो पता लगाया उसके आधार पर अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी, जबकि यहां एक से एक धुरन्धर और अनुभवी मिनिस्टर हैं, लेकिन आज भी अफसर लोग उन्हें अपनी उंगली पर घुमा रहे हैं। हमारे गृह मन्त्री बहुत सुलझे हुए हैं, पुराने हैं लेकिन इन्होंने भी जो सदन में वक्तव्य दिया वह वही था जो अफसरों ने बनाया था। उसमें तीन बातें कही गई थीं। मैं पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं कि वह तीनों चीजें गलत हैं। भारत सरकार की जो रिपोर्ट आई है कि यह जाति का झगड़ा था, दूसरे यह हार्डेन्ड क्रिमिनल थे और तीसरे यह कि आपसी क्लेश में दोनों की काउंटर फायरिंग में मृत्यु हुई है, मैं यह कहता हूं कि यह तीनों चीजें गलत हैं।

13.09 hrs.

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*]

वहां जाति का झगड़ा था, हरिजन बनाम सवर्ण का झगड़ा था।

यह कहा गया है कि वह हार्डेन्ड क्रिमिनल थे। मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री से जानना चाहता हूं कि जो लोग उसमें मारे गये हैं और उसका जो नेता सिंहेश्वर पासवान था, उस मुकदमे में क्या कोई चश्मदीद गवाह था? क्या सिंहेश्वर पासवान कभी जेल गया है और क्या कभी उसको किसी कोर्ट से सजा मिली है? नहीं। वहां के कमिश्नर ने जो रिपोर्ट भेज दी, उसके आधार पर, गृह मन्त्री ने यहां कह दिया कि वह एक हार्डेन्ड क्रिमिनल था और यह घटना वास्तव में दी क्रिमिनल

[श्री राम विलास पासवान]

गैंग्ज़ में झगड़ा था । यह भी कहा गया कि काउंटर-फ़ायरिंग में ये लोग मारे गये । मैं उस घटना का सही चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं ।

वहां झगड़ा इस बात का था, हरिजन के पास ज़मीन नहीं है और वे लैंडलस लोग हैं । महतो लोग शक्तिशाली हैं, उन्हें घर-घर में राइफ़ल के लाइसेंस दिये गये हैं, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज़ हैं और उनके बहुत कारोबार चलते हैं । जब कभी हरिजन अपनी समस्याओं को रखने की कोशिश करते रहे हैं, वहां इस प्रकार के एक नहीं, बल्कि हज़ारों बेलची कांड होते रहे हैं ।

यह झगड़ा एक कट्टा ज़मीन का था । सिंहेश्वर पासवान का घर मसीहा गांव में है, और उस गांव के बग़ल में इन्द्रदेव चौधरी, एम० एल० ए० का घर है । इन्द्रदेव चौधरी राइफल के बल पर बिहार विधान सभा का चुनाव जीता है । उसके खिलाफ खून के चार चार मुकदमे हैं और उसने अपने हाथों से मर्डर किये हैं । वह सिंहेश्वर पासवान को पहले से तंग किया करता था और उसे क्रिमिनल गैंग में शामिल होने के लिए कहता था ।

सिंहेश्वर पासवान भाग कर अपने ससुराल बेलछी आया, जहां उसके ससुर की 18 कट्टे ज़मीन थी । एक मुसलमान, खुदाबख्श, ने उसके ससुर से एक कट्टा ज़मीन ली, और जब वह पाकिस्तान चला गया तो वह सरकारी ज़मीन हो गयी । उस ज़मीन को किशोरी तमोली ने सरकार से खरीद लिया । बाद में महावीर महतो ने किशोरी तमोली से दो कट्टे ज़मीन अपने नाम लिखा ली । महावीर महतो, जिसने ये हत्यायें कीं, कहता था कि मैं दो कट्टे ज़मीन लूंगा, और सिंहेश्वर पासवान तथा उसका ससुर कहते थे कि एक कट्टा ज़मीन लो ।

होम मिनिस्टर ने यह नहीं बताया कि 27 तारीख से पहले 22 तारीख को भी गोली चलाई गई थी, जिसमें सकलदेव पासवान को गोली लगी थी, और वह मामला बाढ़ थाने में दर्ज हुआ था । उससे पहले 14 तारीख को जब सिंहेश्वर पासवान बग़ल के गांव में घर बनाने के लिये ताड़ काटने और घर बनाने के लिए गया, तो वहां भी उसको मारने की साजिश की गई, लेकिन गांव वालों ने उसे बचा लिया । 22 तारीख को गैंग ने गांव में प्रदर्शन किया और आकाश में राइफ़ल से फ़ायर किये गये । थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

27 तारीख को सवेरे ही पूरे गांव को घेर लिया गया । जब हरिजन भागने की कोशिश करने लगे, तो महावीर महतो के घर में जो गैंग छिपा हुआ था, उसने हमला कर दिया । तब हरिजनों ने रोहन महतो के घर में आश्रय लिया । घर को दोनों बगल से और छत को तोड़ने की कोशिश की गई, ताकि अन्दर घुस कर उन लोगों को मार दें । लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि एक एक कर के कूद कर अन्दर जाने से फंस जायें, इसलिए उन्होंने यह प्लान छोड़ दिया । तब इन्द्रदेव चौधरी और अरुण चौधरी ने कहा कि हम समझौता-वार्ता करना चाहते हैं । हरिजनों ने गुड फ़ेथ में किवाड़ खोल दिये, वे लोग दोनों अन्दर गये और चाय-पानी चलने लगा । इसके बाद महावीर महतो और परशुराम धानुक आदि लोग खिड़की से अन्दर गये । उन्होंने राइफ़ल दिखा कर सब के हैंड्ज़ अप करवा दिये । उनके छिपे हुए साथी भी आ गये और उन्होंने हरिजनों के हाथ पीछे बांध दिये । वे उन लोगों को खेत में ले गये । वहां कैरोसीन तेल डाल कर आग लगाई गई । उन लोगों को एक एक करके गोली मारी गई और शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर आग में फेंक कर जला दिया गया । 11 साल का एक लड़का, राजाराम पासवान रोता हुआ गया, उस को भी खींच कर आग में फेंक दिया गया । उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन उसको फिर आग में धकेल कर जला दिया गया । इस तरह

ग्यारह व्यक्तियों को मार दिया गया । शाम तक पुलिस नहीं पहुंची । जब यह घटना हुई, उस समय भोला प्रसाद सिंह, एम० एल० ए०, थाने में बैठे हुए थे । हमने इस बारे में चीफ़ सेक्रेटरी, आई० जी० और मुख्य मंत्री, श्री कर्पूरी ठाकुर से बात की । उन लोगों ने इस बात को कबूला है । उन लोगों ने कहा है कि नहीं, इस तरह की बात नहीं हैं । यह गलत रिपोर्टिंग हुई है और हमको खुशी है कि वहां के मुख्य मन्त्री ने तात्कालिक सहायता के रूप में राहत के लिए पांच पांच हजार रुपये दिए हैं । उसमें प्रशासन का और उसके अधिकारियों का नीचे से ऊपर तक हाथ है । जब तक उन सारे प्रशासनिक अधिकारियों को दण्डित नहीं किया जायगा तब तक समस्या का निदान नहीं होगा । जिस दिन एन्क्वायरी हो रही थी, हम लोग वहां गए थे, हमने देखा कि वहां का ए एस आई उन लोगों को धमका रहा था कि अगर तुम सही सही बताओगे तो तुम्हें बाद में हम ठीक करेंगे जिसकी सूचना हम लोगों ने तुरन्त एस पी और डी एम को दे दी थी ।

आज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की स्थिति क्या है ? मैंने कई बार आग्रह किया मंत्री महोदय से वे एक काम करें, हरिजनों और आदिवासियों के संबंध में यह जो बात लिखी जाती है कि—

if the suitable candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes are not available, the seats will be treated as unreserved.

इसको वे हटा दें । लेकिन नहीं हटाया गया और आज भी नहीं हटाया जा रहा है । इसका नतीजा क्या हुआ है कि एक से एक योग्य उम्मीदवार हरिजनों और आदिवासियों को कह दिया जाता है कि तुम अयोग्य हो । इसके कारण आज जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा है वह पूरा भरा नहीं जाता । मेरे पास आल इंडिया सर्विसिज की फिगर है । उसमें आप देखें प्रथम श्रेणी में शेड्यूल्ड कास्ट 3.46 प्रतिशत हैं, द्वितीय श्रेणी में 4.41 प्रतिशत हैं और तृतीय श्रेणी में 11.31 प्रतिशत हैं । आदिवासी प्रथम श्रेणी में 0.68 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में 0.74 प्रतिशत और तृतीय श्रेणी में 2.5 प्रतिशत हैं । यह हैं आजादी के 30 साल बाद सरकारी नौकरियों में हरिजनों और आदिवासियों का स्थान । मैंने इस संबंध में तमाम मंत्रियों को लिखकर दिया । अविनाश कौर एयर होस्टेस के संबंध में कौशिक जी को लिख कर मैंने दिया था । कौशिल्या देवी हरिजन महिला और सी एस दास के बारे में पेट्रोलियम मंत्री को लिख कर दिया था । उनका मामला बरौनी आयल रिफाइनरी से संबंध रखता है । कौशिल्या देवी ने शिक्षिका के पद के लिये प्रार्थना पत्र दिया था । एक ही पोस्ट के लिए और एक ही उम्मीदवार थीं । लेकिन उनको नहीं लिया गया । सी एस दास वहां असिस्टेंट इंजीनियर हैं । उनको प्रोमोशन मिलने वाला था तो उनको सस्पेंड कर दिया गया । मैंने मंत्री महोदय को लिखा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ।

हरिजनों की छात्रवृत्ति का मामला है । जो छात्रवृत्ति उन्हें पहले मिलती थी वही आज भी मिल रही हैं । अब एक और नयी चीज होने जा रही है । प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक नागरिक अधिकार आयोग का गठन किया जा रहा हैं जिसमें जो माइनारिटी क्लास है उसी के साथ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को जोड़ देने की बात हो रही है अगर इनको माइनोरिटी क्लास के साथ जोड़ दिया जाएगा तो उनका सब का एक कमिश्नर होगा और एक आयोग होगा । फिर जो माइनोरिटी क्लास है वह कहेगी कि जो हरिजनों को अधिकार मिले हैं वही हमको भी दो । फिर माइनोरिटी क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को जोड़ दिया जायगा

[श्रीराम विलास पासवान]

तो बाकी जो दूसरी क्लासेज बचगी वही माइनारिटी हो जायेंगी । तो माइनोरिटी की परिभाषा क्या रहेगी ? इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह की कार्यवाही न करें । जो संविधान प्रदत्त चीज हैं उन्हें वैसे ही रहने दें । शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो अलग कमिश्नर की पोस्ट है, उनके लिए जो अलग सुविधाएं वगैरह हैं उनको वैसे ही रहने दें और जो वर्तमान स्थिति उनके संबंध में है उस को चलने दें ।

इस समय श्री ओ० के० मूर्त्ति जी जो वी०वी०गिरि के दामाद हैं डाइरेक्टर जनरल के पद पर हैं और एक के० एल० गुप्ता हैं वह जोनल डाइरेक्टर हैं पटना में । एक दुबे जी हैं जो भोपाल में जोनल डाइरेक्टर थे । समय नहीं है नहीं तो मैं इन का इतिहास बताता कि ये क्या करते रहे हैं । ये हरिजनों के रक्षक नहीं उनके भक्षक हैं । हरिजनों के केस की जांच करने के लिए इनसे कहा जाता है तो उसको यह कहते हैं कि यह तो क्रिमिनल केस है । आज हरिजनों को दफ्तरों से निकाला जा रहा है ।

इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आज जब यहां सक्षम गृह मंत्री हैं जिसके संबंध में कहा जाता है कि वे बड़े कुशल ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं तो वे इस ऐडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तरह से ओवरहालिंग करें और अपने मन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाएं लेकिन जो भ्रष्टाचार हैं और जो प्रशासनिक त्रुटियां हैं उनको ठीक करें । अधिकारियों का जो आज भी वही पुराना रवैया चल रहा है उस को बदलें ।

नौजवान लोगों की उम्र के बारे में मैं कहूंगा कि 25 साल तक लड़का नौजवान रहता है, और 26 साल में बूढ़ा हो जाता है लेकिन हम लोग 70, 75 और 80-80 साल के रा ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्री बन सकते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उम्र की यह सीमा है उसको हटाया जाय, उम्र पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय । इस लिये मैं आपसे कहता हूं कि जो उम्र की सीमा है, उस पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय । आप चाहें तो यह कह दें कि 55 साल के बाद वह सरकारी नौकरी में नहीं रहेगा, लेकिन 55 साल के भीतर वह सरकारी नौकरी पा सकता है, चाहे उसे 5 साल ही नौकरी करनी पड़े । उम्र की सीमा का जो 25 साल पर बांध दी जाती है, इसको कृपया खत्म करें ।

MR. CHAIRMAN: Shri Ramjilal Suman.

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay—North-West): Could you give us an idea about the order in which you are calling members and also the approximate time available?

MR. CHAIRMAN: For the information of the hon. Members I have to point out that there are as many as forty members on my list and the time at our disposal is only three hours and 45 minutes. If we calculate, some may get about 7 minutes and others may get 5 minutes, unless the House agrees for extension of time, which is not possible according to me. So we will have to confine to the timelimit.

SHRI RAM JETHMALANI: What is the order in which you call the names?

MR. CHAIRMAN: That is not possible to say now; the Chair has to accommodate persons who have got some urgent work; that discretion has to be exercised by the Chair.

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, कल गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस हुई और सबसे पहले भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा० कर्ण सिंह ने अपना भाषण दिया । उन्होंने अपने भाषण में विशेष रूप से गृह मंत्री जी का ध्यान अनुसूचित जातियों की तरफ़ दिलाया । बिगत 30 वर्षों

में इस देश में जो कुछ हुआ मैं इस समय उसमें नहीं जाना चाहता । एक लम्बी वार्ता मेरे मित्र पासवान जी ने की, लेकिन कुछ तथ्य मैं इस अवसर पर जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं ।

संविधान निर्माण के बाद बाबासाहब डा० भीम राव अम्बेदकर ने 18 परसेंट रिजर्वेशन की व्यवस्था इस देश में की, जब कि वह सरकार हमारी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेलवे में प्रथम श्रेणी में 6.3 परसेंट और द्वितीय श्रेणी में 8.1 परसेंट स्थान ही भरे जा सके । 18 परसेंट आदमियों का नाम लेकर वह सरकार गुमराह करती रही । मैं इस बात को मानता हूं कि हिन्दुस्तान में अवर्ण और सवर्ण की लड़ाई से जातिगत भावना पैदा हुई, इसके लिये पिछली सरकार जिम्मेदार है । बराबर यह कहा जाता रहा कि हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए यह सरकार कटिबद्ध है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम उस सरकार ने नहीं किया ।

मैंने शेड्यूलड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को बड़ी गम्भीरता के साथ पढ़ा है । उसमें कहा गया है कि फर्स्ट क्लास कर्मचारियों के केवल 1.05 परसेंट स्थान भरे हैं, जब कि हम 18 परसेंट की बात कहते आये—वास्तविकता यह है कि इसको अमली जामा पहनाने का प्रयास बिलकुल नहीं हुआ ।

मैं इस मौके पर विशेष रूप से एक घटना आप के सामने रखना चाहूंगा जो आपातकाल के समय की घटना है । मेरे पास यह—"सेवाग्राम कृषि साप्ताहिक" है जिस ने उस घटना को लिखने का साहस किया । इस में लिखा है—हापुड़ और गाजियाबाद क्षेत्र के एक ऐसे नेता थे जो अपने आप को अछूतों का ठेकेदार कहते थे । यह घटना 11 नवम्बर की है जो गाजियाबाद से सात किलोमीटर आगे थाना मसूरी के इंद्रगढ़ी गांव में हुई, जिस में तीन हरिजन युवकों श्री वासुदेव एम०ए० फाइनल, श्री बल्देव सिंह, बी० ए० फाइनल और श्री हेम प्रकाश, इन्टर में पढ़ रहे लड़कों को जिंदा जला दिया गया । यह घटना हापुड़ और गाजियाबाद क्षेत्र में, जब इस देश में आपातकालीन स्थिति थी, हुई थी और ये तीनों युवक गरीब परिवारों से सम्बन्धित थे । जिस परिवार के लोगों ने जलाने का काम किया, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उस परिवार का सम्बंध एक केन्द्रीय राज्य मंत्री से था । उस वक्त सरकार हमारी नहीं थी बल्कि कांग्रेस की सरकार थी और आज ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि हरिजनों के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है । यहां तक उस समय किया गया कि सी० ओ० और दारोगा को सही एफ० आई० आर० लिखने तक को मना किया गया और यह कहा गया कि जिस तरह से हमें कहें उस तरह से एफ० आई० आर लाज की जाए । इसलिए मैं आप के माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं—अफ़सोस है कि इस समय गृह मंत्री जी नहीं हैं—कि आज तक इस घटना के बारे में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और यह पता ही नहीं चला है कि उस घटना को करने वाले लोगों का क्या हुआ और आज यह कहा जाता है कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं । उस वक्त हम सरकार में नहीं थे, सरकार आप के (कांग्रेस) हाथ में थी और आज आप के दिल में हरिजनों के लिए दर्द है । उस वक्त हिन्दुस्तान में जो कुछ हुआ, आप ने कुछ नहीं किया । सत्या कांड हुआ और उस में वयोवृद्ध महामहीम पं० कमलापति त्रिपाठी के सुपुत्र का हाथ था । बांदा में हरिजनों

[श्री रामजी लाल सुमन]

को जिंदा जला दिया गया और हाथरस में राजन नाम के छात्र को, जोकि एक हरिजन था, जिंदा जला दिया गया। इस देश में तमाम इस तरह की घटनाबें हुई लेकिन उस समय आप का ध्यान इस तरफ़ नहीं गया और आज आप इस के बारे में रोते हैं। डा० करण सिंह को हिन्दुस्तान की गरीबी के बारे में क्या पता है। महलों में रहने वाले और रोज एक नया सूट बदलने वाले हिन्दुस्तान के दरिद्रनारायण की बात करते हैं? मैं एक शेर पढ़ देता हूं:

"मैं खाली जाम रख कर इसलिए आंसू बहाता हूं
तुम्हारी बात रह जाए, मेरा पैमाना भर जाए।"

सरकार का अपनी बात को अमली जामा पहनाने का जो काम था, वह उस ने नहीं किया। मैं इसे राजनीतिक सवाल नहीं मानता हूं। मैं इसे आर्थिक और सामाजिक सवाल मानता हूं। मैं मानता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग़ खराब रहेंगे और जब तक जिस वर्ग ने शोषण किया है वह चाहे जनता पार्टी में हैं या कांग्रस पार्टी में है, उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब तक इन हरिजनों की हालत नहीं सुधर सकती। यह राजनीतिक सवाल नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से सामाजिक और आर्थिक सवाल है। आज जो लोग उधर बैठे हुए हैं और पहले जिन के हाथ में हुकूमत थी, उन्होंने उन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया।

अब मैं कुछ बातें नजरबन्द लोगों के बारे में कहूंगा। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने जो लोग मीसा के अन्तर्गत बन्द थे और जो मर गए थे, उन के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। कुछ जगहों पर बहुत से बड़े बड़े नेता ऐसे थे जिन को डी० आई० आर० के अन्तर्गत बन्द किया गया था। उन को मीसा के तहत बन्द नहीं किया गया था। हिन्दुस्तान की आजादी के समय कुछ लोग इस आपातकाल के दौरान डी० आई० आर में बन्द किए गए थे और कुछ मीसा में बन्द किए गए थे। मीसा के तहत बन्द किये गये लोगों को तो आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है लेकिन डी० आई० आर० के तहत लोगों को यह सहायता नहीं दी गई। मैं आप को फिरोजाबाद के एक नेता के बारे में बताता हूं। डा० अख्तर फिरोजाबाद के समाजवादी नेता रहे हैं और समाजवादी आन्दोलन का इतिहास उन के बगैर नहीं लिखा जा सकता। जनता पार्टी के कहने पर उन्होंने तानाशाही के खिलाफ सत्याग्रह किया और तानाशाही को खत्म करने के लिए वे डी० आई० आर० में जेल में बन्द कर दिए गए और तीन महीने में खत्म हो गए। डा० अख्तर मीसा में बन्द नहीं थे बल्कि डी० आई० आर० में बन्द थे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जो तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए मर गए चाहे वे डी० आई० आर० में बन्द हुए हों या मीसा में।

नक्सलवादियों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि तानाशाही को खत्म करने के लिए चाहे उन्होंने जो भी साधन इस्तेमाल किए हों, वे पवित्र साधन माने जाने चाहिए। मैं इ को पवित्र साधन मानता हूं और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन को तुरन्त रिहा कर देना चाहिए।

हमारे गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश में रहे हैं। वहां पर जो पी० ए० सी० रिवोल्ट हुआ था, वह श्री चिमन भाई पटेल और पं० कमलापति त्रिपाठी का आन्तरिक षडयंत्र था। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि पी० ए० सी० रिवोल्ट में बड़े अधिकारियों का हाथ था और सरकार के द्वारा वह कराया गया था और उस में नीचे के हजारों लोगों का शोषण हुआ। पी० ए० सी० रिवोल्ट के दौरान जिन लोगों के खिलाफ़ केसेज चलाए गए हैं, उन को वापस लेना चाहिए और उन केसेज को वापस लेने के बाद उन लोगों को काम पर लगाया जाए।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का जहां तक सवाल है, इस में बहुत जबर्दस्त घपला है। पिछली सरकार ने इस पर कम रुपया खर्च किया लेकिन हमारी सरकार इस पर ज्यादा रुपया खर्च कर रही है। मैं जानता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनका राष्ट्रीय आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा, लेकिन फर्जी पेंशन लेने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार को इसकी तुरंत जांच करानी चाहिए और इन लोगों के नाटक को बंद करने का काम करना चाहिए।

जहां तक प्रिवीपर्स का सवाल है, यह ठीक है, वह बंद हो चुका है लेकिन अभी 32 हजार रुपये निजाम परिवार के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। यह बड़ी जबर्दस्त खतरनाक बात है। इसको भी खत्म करना चाहिए। हो सकता है कि यह राशि चौधरी साहब के लिए कुछ न हो, लेकिन इस राशि से दूसरे अच्छे काम किये जा सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको एकदम तुरन्त खत्म करना चाहिए।

जहां तक केन्द्रीय कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण का सवाल है, इस पर पिछले साल में 4963 हजार रुपया खर्च किया गया था और इस साल 5003 हजार रुपया खर्च किया जाने वाला है। पिछले साल की तुलना में यह ज्यादा राशि है लेकिन मेरे मत में इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़े अधिकारी हिन्दी में काम करने में अपना अपमान समझते हैं। आप जानते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी है। जो भी अधिकारी हिन्दी में काम नहीं करना चाहते हैं उनके फिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके लिए मेरी जोरदार मांग है। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी हिन्दी की ओर विशेष ध्यान दें।

जहां तक पुलिस का सवाल है, इसका रवैया बहुत गड़बड़ है। मैं मानता हूं कि जनता पार्टी की जीत के बाद, सामाजिक, आर्थिक बदलाव के लिए सब लोगों ने अपना योगदान दिया, सरकारी अधिकारियों ने देश-भक्ति का परिचय दिया। लेकिन पुलिस के लोग आज जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के बदलने के साथ अफसरों के दिमाग में जो तब्दीली आनी चाहिए थी, वह नहीं आई है। बड़े अफसरों के दिमाग में तब्दीली आनी चाहिए। इसलिए इन्हें शिक्षा देने की जरूरत है। जब तक हिन्दुस्तान में नौकरशाहों का दिमाग ठीक नहीं होगा तब तक इस देश की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस को जो प्रशिक्षण मिलता है वह इस प्रकार का हो जिससे इन लोगों के दिमाग में यह भावना उत्पन्न हो कि वे स्वामी नहीं है बल्कि समाज के सेवक हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण उनको दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने को समाज का सेवक समझें।

नागरिक सुरक्षा पर पिछले वर्ष 75646 रुपया खर्च किया गया था जो इस वर्ष घटा कर 61739 रुपया कर दिया गया है। इस व्यय में जो कटौती की गयी है वह नहीं होनी चाहिए थी। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र में नागरिक सुरक्षा पर जो व्यय किया जाता है वह आवश्यक

[श्री रामजी लाल सुमन]

है। मेरा विचार है कि नागरिक सुरक्षा को हमें स्थायी बना देना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देना चाहिए। मैं चाहूंगा गृह मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

दर बदल का जहां तक सवाल है, इसका विधेयक तुरन्त लोक सभा में आना चाहिए। देश के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए यह बहुत आवश्यक है। जो लोग आपतकाल में हम लोगों को पिटवाते रहे, हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते रहे, जो लोग तानाशाही को मजबूत बनाते रहे, इंदिरा गांधी और संजय गांधी की जय के नारे लगाते रहे, उन लोगों को अगर हम अपने साथ लेंगे तो हमारी पार्टी की तस्वीर अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस कानून को तुरन्त अमल में लाना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों को अपने संगठन में स्थान देंगे तो हमारे कार्यकर्त्ताओं का मन टूटेगा जो तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि दल बदल के कानून को तुरन्त लोक सभा में लाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन अब इतना ही कह कर समाप्त करता हूं। गृह मंत्री जी इस समय नहीं हैं, इस्पात मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मेरी बातों को गृह मंत्री तक पहुंचाने का कष्ट कर।

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tiruchirapalli): After the March elections to the Lok Sahha, it is claimed that our country is entering a new era. Hopes have been raised. Promises have been made. The first 100 days, I agree, is too short a period to judge their words with their deeds.

Let me now start with their promise to punish the guilty for the horrors of Emergency. Several commissions have been announced and appointed. We have no objection to the appointment of commissions and bringing to book the really guilty persons. The nation has already punished the political party to which they belong. But if you want to punish the persons who are really found guilty, yes it is welcome.But, are they serious about it? It does not appear to be so. So many commissions have been appointed—one for Maruti, one for Delhi Administration, one for murdering daciot Sundar and several commissions meant seriously for booking the culprits or it is only for diverting the attention of the people from the various problems that are facing them now? It looks more like an exercise for diverting the attention of the nation from the urgent economic problems of poverty, unemployment and soaring prices and attacks on workers and peasants and atrocities, on Harijans. So many atrocities were committed during the first 100 days in power of the Janata Party. They also need urgent attention.

I do not want to counterpose one against the other. The Government are welcome to proceed with the commissions of inquiry. But let them be finished as soon as possible. Do not keep the nation in suspense. If you say you are serious, what is the action you have taken? Three months have passed. Has any single arrest been made or any case booked or registered? The way in which the commissions are going to function, one has to wonder whether it is only for getting some entertainment. Is it a political circus in the name of a commission of inquiry or is it a serious step for focating the criminals who are responsible in several ways for the horrors that were

committed during the dark days of emergency?

What is happening today? The Shah Commission has been appointed. Another commission is appointed by the same Government for going into certain incidents in Delhi. Why should there be two Commissions on the same matter? My party wrote to the Home Minister, Shri Charan Singh, stating that this is not necessary and that it will only delay things. Some officers who were there during the emergency, they are constituted into a commission to find out the excesses during the emergency. The first is a notorious person. I have the names and other particulars with me. but I do not want to drag the names of individuals in this House. One is Shri R. C. Jain, whose name was involved for what is known as VIP land grab scandal. Some VIPs joined together in the suburb of Delhi and took Government lands. Who is to enquire in to these things in Delhi? One of the officers who was himself involved in it? This was brought to the notice of the hon. Home Minister, Shri Charan Singh, in writing by my party. Yet, no reply or even an acknowldgement has been received. Then, what is the purpose of this commission of inquiry? Shri Charan Singh is a man of strong will, who is known for his single-minded attention. He is not known for weakness or wobbling or vacillation. Under his administration, how can things happen like this?

A Commission was appointed in Tamil Nadu in February, 1976. It is still going on. People are being entertained by listening to so many things, that is all. Sometimes they take it as mere fun. Is that going to be the fate all these Commissions? If the Government are serious about it, what action have they taken to prevent the supression of evidence, tampring with records? If Mr Charan Singh is serious, he should have done it scrupulously. That is why we are suspicious about it. Perhaps the gentlemen sitting there have a lurking sense of gratitude for those guilty persons. Because, but for the crimes committed by those persons, the Janata Party could not occupy the treasury benches.

One more Commission of Enquiry will be very necessary. Several hon. Members who spoke before me referred to the atrocities on Harijans. These incidents were raised in this House earlier also, particularly the Belchhi incident in Bihar. What is the answer that the hon. Home Minister gave to this House?—that it was a clasn between two armed gangs. Members belonging to his own party went there and contradicted it. Harijans were burnt alive, and he has made such a misleading statement before the House. Hon. Home Minister is a man of integrity, he should find out the trouth. He should not depened upon the officers because the officers have not changed. The Government might have changed, Government policy might have changed, but the officers continue to be the same, the bureaucracy and the police continue to be the same. When "X" is Prime Minister, they will dance to her tune; when "Y" is Prime Minister they will not hesitate to dance to a different tune. That is the way of bureaucracy and the police.

I want to know why a separate Commission of Enquiry should not be appointed to go into these incidents of torture and atrocities against Harijans during the last three months. This is very important. This is not new, I agree, this has been there for centuries possibly, but should this particular section of people be subjected to such humiliation and torture? For what? In one village, they were tortured for not voting for the party for which the local man wanted them to vote.

I appreciate the attitude of the new Government in releasing detenus, but in regard to Naxalities also they must have a very reasonable attitude. This is what Mr. Charan Singh had written about the Naxalites:

"On the other hand, Naxalites, following their basic ideology, have committed the offence of overthrow-

[Shri M. Kalyanasundaram]

ing the legally constituted Government by violent methods and armed struggle."

What have they done? They have not challenged the army. Why do you accuse them of such serious things? This accusation was made by him earlier also. The torture and fillings of Naxalites did not start during the period of emergency, but it started before that. Some senior officials of the West Bengal Government were given special training to kill Naxalites. They employed persons at the rate of Rs. 105 per month for killing Naxalites. Anti-social elements were employed for this job in West Bengal. I am saying this with authority. Some senior officials had made it a cult to kill Naxalities. I learn, my friend Jyoti Basu, is going to appoint a commission for West Bengal. I hope he will take care of such officials.

13.47 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

During the last three months, there have been six communal clashes—I would not call them riots—in U.P. Madhya Pradesh, Bihar and West Bengal. What is the protection the minorities are going to get? From the Civil Rights Commission? We have been assured that Civil Rights Commission is being appointed for putting down the atrocities on the Harijans. I think, for safeguarding the interests of the Harijans and other minorities, a serious effort is required to be made by Government at all levels. Will the hon. Home Minister issue directions both to revenue and police officials saying that those officials who will be responsible for atrocities on Harijans or any kind of communal riot, they will be called to explain their conduct? I am saying this because the Police has not changed. They are the same as they were during the British regime when they were used for putting down freedom movement. After independence the police was trained to supress the struggles of workers and peasants, the weaker sections of the society. That is the training they have got. The real problem is the rural vested interests epecially the landlords, the kulaks and the money-lenders who use the Police for their own interests. In Bihar one leader of the agricultural labour was arrested by the police and they handed him over to the men of the landlords for being beaten to death. When such is the district administration, what sort of safeguard can we expect from them?

The basic problem is aggrarian reforms. Without effective land reforms this problem cannot be solved. This is not a cast problem; this is more than a caste problem. This is a class problem: that is oppression of landlords. Unless the roots of feudalism are destroyed, the problem of agricultural labour cannot be solved. Their right to work cannot be guaranteed. I want to know from the hon. Home Minister as to what the Janata Party's policy is towards land reforms.

Under the regime of the previous Government, tenants were given protection against eviction by court proceedings; Harijans were given lands; bonded labourers were freed. Debts were redeemed. After the Lok Sabha elections, the landlords feel that this is their Government. The landlords want to wreck vengeance.

Another point is with regard to the Centre-State relations. As I come from a State like Tamil Nadu, you must permit me to say a few words on that. Yesterday, when Dr. Karan Singh was speaking, he was making it appear as if something undesirable has happened because different parties have come to power in different states. He particularly referred to Kashmir, Tamil Nadu and West Bengal, saying that they are regional parties with different ideologies. It is not so. We have entered into a different phase in our Centre-State relationship. The era of the single-party system a single party

ruling at the Centre and in all the States all over the country is over. We have now entered into an era of the multi-party system. We have to learn to live with unity in diversity. I will not be found wanting in the urge for preserving the unity of the country in my efforts both inside the House and outside. The most important question is: What are the causes of friction between the Centre and the States.

Today, I saw in the press that the Tamil Nadu Government is proposing to take over some of the closed sick textile mills. That is how they overcame the agitation that was going on in Coimbatore district. All the textile mills have remained closed there. Here, the policy is, don't take over any sick mill; don't nationalise any mill. Here, we are told whether the workers will take over a sick mill. What can workers do by taking over a sick mill? That is how the conflict comes in between the Centre and the States. The States must have more powers and more resources to implement their policies and programmes according to the conditions prevailing in the respective States.

There are four States where the Janata Party is not in power. There are some States ruled by the Congress Party. Kerala is ruled by a coalition Government. West Bengal is ruled by the Marxist Party. In Kashmir and Tamil Nadu non-Janata Governments have been installed. Each State in its own way comes forward in solving the problems and fulfilling the promises given to the people. They have all assured that they are not thinking in terms of any confrontation with the Centre, whichever party may be in power at the Centre. They are answerable to the people of their State. Now, six Finance Commissions have been appointed so far. The mechanism of having a Finance Commission alone has not been found suitable for resolving the problem of resources. The resources are very important for the States. The States should not be starved of resources. The States must be helped. A new mechanism must be found out. At the moment, I am not able to suggest what new mechanism can be thought of. The consultation and consensus must be there with all the States and the State Chief Ministers both at the political level and the Government level. That will give them an opportunity to understand the problems peculiar to each State and take the country forward.

Lastly, I come to the point of language. Language is a very sensitive problem for the unity of the country. We treat Hindi-speaking people as our elder brother. The elder brother must look to the interests of the younger brothers also. We are all like brothers born to the same mother. We should try to preserve the unity of this country. If you think that Hindi alone can become the sole official language, then it is not good. Please continue English as long as the non-Hindi speaking people want it. Jawaharlal Nehru gave that assurance. The Congress Working Committee, when Mr. Morarji Desai and others were in the Congress, passed a resolution on the three-language formula. What happened to that? Please continue both English and Hindi as associate official languages. Don't impose hindi on anybody. That will not be good for the unity of the country. By that, you will be dividing the country as Hindi and non-Hindi speaking people. In this House, when I see the people insisting on the Members speaking in Hindi, I do not approve of it. Nehru said that this is a matter which should not be decided by Hindi-speaking people alone and that it should be decided by the non-Hindi speaking people. I go further and say that it should be decided by both sitting together by a national consensus, by an agreement, between Hindi and non-Hindi speaking people. It is a national problem accentuated after freedom. Let us try to put all the efforts of all the political parties and all sections of the people involved in it and reach at an agreed formula. Till then, do not rush through an effort

[Shri M. Kalyanasundaram]

making Hindi everywhere compulsory.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, मैं समय का ध्यान रखते हुए अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। सब से पहले मैं इसी विषय को लेना चाहूंगा जिस पर कल्याण सुन्दरम जी ने बाद में बात कही है। इस सदन में हिन्दी के सम्बंध में यह कहा गया कि हिन्दी को लादा नहीं जायगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और विशेष रूप से जो गैर-हिन्दी भाषी लोग हैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वे भी इस बात का प्रयत्न करें कि जो हिन्दी बोलना चाहते हैं उन को विवश न किया जाय कि वे अंग्रेजी में ही बोलें। उन के हिन्दी बोलने के मार्ग में बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। मेरा हिन्दी से कोई विशेष लगाव नहीं है कि हिन्दी ही हो परन्तु यह बहुत आवश्यक हैं कि राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्र में एक राष्ट्र भाषा हो सम्पर्क भाषा के रूप में, किस में देश के लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें और अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकें। वह भाषा केवल देश की भाषा ही हो सकती है, विदेशी भाषा राष्ट्र की भाषा नहीं हो सकती क्योंकि यह हमारे स्वाभिमान के सर्वथा विपरीत है।

अब कौन भाषा देश की राष्ट्र भाषा बन सकती है कौन नहीं बन सकती है, इसके ऊपर विचार हुआ और यह तय हुआ कि जिस में अधिकांश लोग बोलते हैं उसी को चुना जाना चाहिए और इस तरह हिन्दी को संविधान निर्माताओं ने चुना। मैं समझता हूं कि इन तीस वर्षों में हिन्दी भाषा की जानकारी तमाम देश के लोगों को इतनी हो जानी चाहिए थी कि वे एक दूसरे के साथ हिन्दी में सम्पर्क कर सकें। मगर आज 30 साल के बाद भी इस सदन में बैठे हुए हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते अगर कोई अंग्रेजी न जानता हो। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दी को लादने का सवाल तो नहीं है लेकिन हिन्दी को शीघ्र से शीघ्र इस देश के कोने कोने में पहुंचाया जाय।

मैं जानता हूं कि हिन्दी भाषा के विरोध के पीछे क्या है ? हिन्दी के विरोध के पीछे हिन्दी का विरोध नहीं है, केवल यह है कि सेंट्रल सर्विसेज में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी अगर माध्यम के रूप में आ जाय तो नौकरियों में हिन्दी भाषीयों का प्रभुत्व हो जायगा, यह भावना उन के अंदर हैं। इस के लिए मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का आश्वासन वह दें कि सेंट्रल सर्विसेज के इम्तहानों में वे अपनी मातृभाषा में उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार का आश्वासन उन को दिया जाय ताकि उन के दिमाग से यह भय निकल जाय और एक राष्ट्रभाषा इस देश में स्थापित हो सके। संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिस की अपनी राष्ट्र भाषा नहीं है। यह विशाल देश आज एक महान शक्ति बनने जा रहा है लेकिन आज भी हम यहां अपनी राष्ट्र भाषा का उदय नहीं कर सके। आज भी इस का विरोध हो रहा है और एक विदेशी भाषा जो अंग्रेजी दासता की प्रतीक है उस की रट लगायी जा रही है। मुझे इस बात का खेद है।

बड़े सौभाग्य की बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पश्चात् एक लौह पुरुष आज गृह मंत्री के रूप में इस देश को प्राप्त हुआ है और मुझे आशा है कि देश में ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था बहुत जल्दी ठीक होगी। परन्तु एक बहुत बड़ा कार्य गृह मंत्री जी के सामने पहाड़ की तरह खड़ा है वह यह कि पुलिस में तीन बड़े दोष हैं। एक तो पुलिस का व्यवहार जो जनता के साथ होना चाहिए वह नहीं है। जो भावना उन के अंदर होनी चाहिए वह नहीं है। उस के व्यवहार में क्रूरता और असभ्यता है। जो सेवा और प्रेम की भावना उन के अंदर होनी चाहिए किस से जनता और पुलिस के बीच में मित्रता का भाव पैदा हो वह भावना नहीं है। दूसरे, भ्रष्टाचार की समस्या पुलिस में है। इस का कारण क्या है ? मैं

कहना चाहूंगा कि पुलिस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी दृष्टि से खड़ी की थी, वे डरा कर, धमका कर इस देश के ऊपर अंग्रेजी शासन को लादे रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने पुलिस में सेवा की भावना जागृत नहीं की। यह उनकी ट्रेनिंग का अंग था कि जब पुलिस साधारण जनता से बात करे तो गाली गलौच के साथ करे और डंडेबाजी से बात करे जिस से पुलिस का रोब रहे तमाम जनता के ऊपर ताकि कोई विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह न कर सके। आज वह ढांचा ज्यों-का-त्यों बना हुआ है, इस ढांचे में परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिये मैं एक सुझाव देना चाहूंगा—लगभग एक शताब्दि पूर्व एक आल इण्डिया पुलिस कमीशन की नियुक्ति हुई थी, उसमें उस कमीशन ने पुलिस के रूप को निर्धारित किया था, लेकिन आज तक कोई दूसरा कमीशन नहीं बना। यह ठीक है कि प्रान्तीय लेवल पर कुछ कमीशन बने या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज कमीशन ने इस सम्बंध में अपने सुझाव दिये थे, लेकिन उन सुझावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। उसके बाद एक हाई-पावर्ड कमेटी बनी, जिसके चेअरमैन श्री एम० एस० गोरे थे, उन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग के बारे में अपनी राय दी, लेकिन उनकी राय को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। मैं होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप शीघ्र एक आल इण्डिया पुलिस कमीशन की नियुक्ति करें ताकि वह इस ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन के सुझाव दे सकें।

14.00 hrs.

पिछले सालों में पुलिस की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, और इसके साथ-साथ देश में शिक्षा का प्रचार भी हुआ। आशा यह थी कि इस देश में अपराधों की संख्या में कमी होगी, लेकिन परिणाम बिलकुल विपरीत निकला। मैं इस सम्बन्ध में थोड़े से आंकड़े आप की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं जिन से स्पष्ट हो जायगा कि अपराध पहले की अपेक्षा घटे नहीं हैं, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़े हैं। 1963 में अपराधों की संख्या—6,58,830 थी, 1973 में यह संख्या 10,77, 181 हो गई और 1975 में 11 लाख 75 हजार हो गई।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member will please resume his seat. I want to make an announcement.

14.02 hrs.

ANNOUNCEMENT RE: RESIGNATION OF THE OFFICE OF THE SPEAKER

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have to inform the House that Dr. N. Sanjiva Reddy has resigned the office of the Speaker of Lok Sabha today, the 13th July, 1977, at 1.00 P.M.

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78—*Contd.*

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Om Prakash Tyagi may continue his speech.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैंने अभी अपराधों की संख्या के बारे में आप को कुछ आंकड़े दिये। दस वर्षों में अपराध 63.5 प्रतिशत बढ़े, जब कि जनसंख्या केवल 25.1 प्रतिशत बढ़ी। झगड़ों में वृद्धि 161 प्रतिशत हुई, डकैतियों में वृद्धि 145 प्रतिशत हुई, धोखाधड़ी में वृद्धि 62.5 प्रतिशत हुई, हत्याओं की वृद्धि 58.7 प्रतिशत हुई। पुलिस की संख्या बढ़ी, शिक्षा में वृद्धि हुई, फिर भी अपराधों में वृद्धि हो रही है।

दिल्ली जोकि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के नाक के नीचे है—अब मैं वहां के थोड़े से आंकड़े देना चाहूंगा। 22 जनवरी, 1976 को दिल्ली पुलिस के आई० जी० श्री भवानी मल ने बतलाया कि 1975 में आर्म्ज एक्ट के तहत 1755 केसेज थे, जब कि 1976 में ये केसेज